प्रेस नोट दिनाँक 01.05.2021

(1). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मोहम्मद नईम तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रंगीलाल पुत्र शौकीलाल निवासी दफाई अकबरपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 29 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

29 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री मोहम्मद नईम थाना भरतकूप
2. आरक्षी विकास कुमार
3. आरक्षी दीपक श्रीवास्तव

(2). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 01.05.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा बरगढ़ में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रामपुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम सगवारा में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम भेड़ा व कस्बा मारकुंडी में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धुस मैदान, भैरोपागा, पुरानी बाजार में भ्रमण कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया।

(3). दिनाँक-02.05.2021 को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में क्लस्टर/सेक्टर मोबाइल द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के समस्त ग्रामों में प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के साथ गोष्ठी की गयी। गोष्ठी में समस्त प्रत्याशियों/समर्थकों को निर्देश दिये गये कि चुनाव परिणाम के बाद कोई भी विजयी जुलूस नही निकालेगा, न ही डीजे बजाएगा तथा न ही किसी भी प्रकार का भोज का आयोजन करेगा, जो भी प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन करेगा सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मतगणना के बाद किसी भी प्रकार का वाद-विवाद नही करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, वीकेंड लॉकडाउन का पूर्णतय पालन करने हेतु निर्देश दिये।